

सेवा में,

प्राचार्य/प्रबंधक,
समस्त राजकीय/अनुदानित/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय,
जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय,
बलिया।

विषय : सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व अधोलिखित विन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें :-

1. वर्तमान सत्र 2017-18 में प्रवेश हेतु शासन के आदेश सं० 421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 की प्रतिलिपि विश्वविद्यालय के पत्र सं० कु०स०-2 B स०अ०/4905/शासन विविध 1/2-2013/2015 दिनांक 28 मई, 2015 के माध्यम से पूर्व में ही प्रेषित की जा चुकी है जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न करायी जाय।
2. उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग-2 के पत्रांक सं० 1191/सत्तर-2-2010-3 (58)/79 दिनांक 11 जून 2010 द्वारा आरक्षण हेतु निर्धारित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
3. मा० उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-729/2012 में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2013 के निर्देश के क्रम में प्रत्येक विषय में स्वीकृत सेक्शन से अधिक सेक्शन में प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाय, स्नातक स्तर पर एक सेक्शन में 60 छात्र से अधिक न हो एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रायोगिक विषय में 30 छात्र एवं अप्रायोगिक विषय में 60 छात्र प्रति सेक्शन अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित सीट से अधिक न हो। आवंटित सीट से अधिक छात्रों का प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा आवंटित सीट से अधिक प्रवेश लिये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी।
4. प्रथमतः अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण कराया जायेगा जिसके आधार पर प्राचार्य द्वारा अधिमानता सूची तैयार की जायेगी, तैयार अधिमानता सूची (Merit list) से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के साथ ही पूर्ण डाटा विश्वविद्यालय की एडमिन लागिन पर निर्धारित तिथि तक अपलोड किया जाना सुनिश्चित करते हुए भरी गयी एवं रिक्त सीटों की सूचना प्रतिदिन विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जाय। प्रवेश हेतु निर्धारित समय सारिणी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध है।
5. महाविद्यालय द्वारा प्रवेशार्थियों का विश्वविद्यालय के एडमिन पर अपलोड करने के उपरान्त प्रवेशार्थी के मोबाइल नम्बर पर एक रजिस्ट्रेशन नम्बर एस.एम.एस के माध्यम से भेजा जायेगा जिसके आधार प्रवेशार्थी आनलाइन नामांकन आवेदन पत्र भरकर उसकी तीन प्रतियों में प्रिन्ट आउट निकालकर महाविद्यालय प्रति एवं विश्वविद्यालय प्रति महाविद्यालय में जमा करेगा तथा अभ्यर्थी प्रति अपने पास सुरक्षित रखेगा। महाविद्यालय, प्रवेशार्थी द्वारा जमा किये गये पूरित नामांकन आवेदन पत्र को विश्वविद्यालय के एडमिन एप्रुव करने के उपरान्त निर्धारित तिथि तक एप्रुव प्रति नामांकित प्रवेशार्थी रु० 200/- की दर से नामांकन शुल्क आर०टी०जी०एस० के माध्यम से विश्वविद्यालय के खाते जमा करने के साथ ही एप्रुव नामांकन आवेदन पत्र की विश्वविद्यालय प्रति विश्वविद्यालय में जमा करने के उपरान्त ही प्रवेशार्थी को विश्वविद्यालय का नामांकित अभ्यर्थी माना जायेगा। विश्वविद्यालय में नामांकित अभ्यर्थी को ही परीक्षा आवेदन पत्र भरने की अनुमति दी जायेगी।
6. महाविद्यालयों द्वारा वर्गवार/विषयवार स्वीकृत सीटों के सापेक्ष ही प्रवेश लिया जायेगा तथा साथ ही प्रतिदिन प्रवेशित एवं रिक्त सीटों की सूची विश्वविद्यालय के एडमिन लागिन पर अपलोड किया जायेगा।
7. प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश लेने वाले महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश के पूर्व तैयार की जाने वाली अधिमानता सूची (Merit list) विश्वविद्यालय के ई-मेल registrarjncuniversity@gmail.com पर उपलब्ध कराया जायेगा।
8. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश न लिया जाय। अंतिम तिथि के पश्चात् लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य नहीं होगा। निर्धारित तिथि के उपरान्त लिये गये प्रवेश की समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।

9. किसी संकाय के अंतर्गत स्वीकृत विषय का प्रवेश उरही संकाय में ही किया जाय (यथा कला संकाय के विषय का प्रवेश विज्ञान संकाय के विषय पुंज में न लिया जाय)। उदाहरण के रूप में यदि 7 विषय A,B,C,D,E,F,G है तो विषय पुंज इस प्रकार होगा:-

1	A,B,C	5	E,F,G
2	B,C,D	6	F,G,A
3	C,D,E	7	G,A,B
4	D,E,F		

10. सभी विषयों/पाठ्यक्रमों में प्रवेश से पूर्व यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर लिया जाय। यदि शिक्षक महाविद्यालय छोड़कर अन्यत्र चले गये हों तो उनके प्रतिस्थानी का चयन प्रक्रिया पूर्ण कर अनुमोदन प्राप्त करने के साथ ही कार्यरत प्राचार्य, विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं का सामूहिक फोटो अनिवार्यतः दिनांक 18 जुलाई, 2016 तक उनके आधार कार्ड की सत्यापित छाया प्रति सहित उपलब्ध करा दिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय में यू0जी0सी0 अर्हताधारी प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है तो विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे महाविद्यालय के विरुद्ध उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में विहित प्राविधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन/प्रबंधन की होगी।
11. शासनादेश सं0 2218/सत्तर-2-2011-16 (409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के अनुसार संविदा अध्यापकों की संविदा विस्तारण का अनुमोदन विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. जिन महाविद्यालयों में वेबसाइट, ई-मेल, अग्निशमन व्यवस्था एवं भवन नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार उपलब्ध नहीं है वे अपने महाविद्यालय को वेबसाइट, ई-मेल, अग्निशमन एवं नेशनल बिल्डिंग कोड 2005 के मानकानुसार भवन होने इत्यादि की व्यवस्था से परिपूर्ण कर अद्यतन प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाय।
13. यदि महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम/विषय की सम्बद्धता समाप्त हो गयी है या पत्रावली विश्वविद्यालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है। अथवा जिन विषयों की सम्बद्धता 30 जून, 2017 को समाप्त हो रही है। उस महाविद्यालय द्वारा सम्बंधित विषय/पाठ्यक्रम में सत्र 2017-18 में किसी भी दशा में प्रवेश न लिया जाय। यदि किसी महाविद्यालय द्वारा ऐसा करते हुए पाया गया तो ऐसे कृत्य के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रबंधक के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही की जायेगी।
14. राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों का संकायवार एवं विषयवार नवीनतम वरिष्ठता सूची (कार्यरत शिक्षकों का विवरण) निर्धारित प्रारूप पर सम्बद्धता कार्यालय को दिनांक 20 जुलाई, 2017 तक अवश्य उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
15. महाविद्यालय की प्रबंध समिति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व निर्वाचन की कार्यवाही प्रारम्भ कर विश्वविद्यालय से प्रबंध समिति अनुमोदित करा लिया जाय।
16. उपर्युक्त के अतिरिक्त वर्ष 2017-18 के शैक्षिक कलेण्डर का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
17. महाविद्यालयों को निर्गत सम्बद्धता आदेश में यह शर्त उल्लिखित है कि महाविद्यालय कुलराजित को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है। इसका अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
18. अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण 2016-17 से सम्बंधित सूचनाएं (डाटा बेस) जिन महाविद्यालयों द्वारा अपलोड नहीं किया गया है। उन सभी महाविद्यालयों को यह निर्देशित किया जाता है कि तत्काल सूचनाएं अपलोड कर विश्वविद्यालय को सूचित करें एवं सत्र एवं 2017-18 हेतु निर्धारित प्रपत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.jncu.ac.in पर उपलब्ध है। डाटा बेस अपलोड करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर कठिनाई का निराकरण किया जा सकता है। डाटा बेस अपलोड न करने की स्थिति में विश्वविद्यालय स्तर पर महाविद्यालय के कार्य अवरुद्ध कर दिये जायेंगे।
19. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महाविद्यालयों को नैक मूल्यांकन हेतु अनेकों आदेश प्राप्त हुए हैं। जिन महाविद्यालयों ने नैक से मूल्यांकन नहीं कराया है उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नैक मूल्यांकन की कार्यवाही प्रारम्भ कर मूल्यांकन कराकर विश्वविद्यालय को सूचित करें।
20. सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित प्रवेश नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। प्रवेश नियमावली का उल्लंघन करने वाले महाविद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

21. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश हेतु संलग्न समय सारिणी का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा है कि उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए संसाधनों की उपलब्धता सम्बन्धी अभिलेख/प्रमाण विश्वविद्यालय को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करा दें, अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017-18 हेतु महाविद्यालय में लिया गया प्रवेश किसी भी दशा में स्वीकार्य न होगा।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. गान्धीय कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
3. उपकुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया।
4. प्रभारी, कार्यालय, को इस आशय के साथ कि उपर्युक्त सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर तत्काल अपलोड करा दें।
5. सम्पादक, सम्मानित समस्त समाचार पत्रों को इस आशय से कि सूचना को जनहित में प्रकाशित करने का कष्ट करें।


कुलसचिव